न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 47/2013 (उदयपुर डिक्री)

1. श्री मांगीलाल उर्फ मांगिया पिता जेतिया बलाई (सालवी) निवासी सनवाड़ तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
2. श्री शान्तिलाल पिता धनियाजी बलाई (सालवी) निवासी सनवाड़ हाल रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज0)
3. मु. गंगा बेवा धनिया जी बलाई (सालवी) निवासी सनवाड़ हाल रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज0)

.... अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री भेरूलाल पिता लालिया जी बलाई निवासी फतहनगर (चंगेड़ी रोड़) तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
2. श्री अशोक कुमार पिता बिशनलाल जी मेघवाल निवासी मावली तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
3. श्री मांगीलाल पिता उदाजी बालाई निवासी जासमा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
4. श्री जवेरा पिता उदाजी बलाई निवासी जासमा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
5. श्री प्यारा पिता उदा जी बलाई निवासी जासमा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
6. श्री चुनिया पिता उदाजी बलाई निवासी जासमा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
7. श्री भगा पित उदाजी बलाई निवासी जासमा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
8. श्री गोदा पिता गोकलजी बलाई निवासी रेलमरा तहसील रेलमरा जिला राजसमन्द (राज0)
9. श्री बालू पिता गोकलजी बलाई निवासी रेलमरा तहसील रेलमरा जिला राजसमन्द (राज0)

10. श्री माधू पिता गोकलजी बलाई निवासी रेलमरा तहसील रेलमरा जिला राजसमन्द (राज0)
11. श्रीमती झमकु पत्नी भेराजी बलाई निवासी उरोल तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
12. श्री रूपलाल पिता छगनलाल गुर्जर निवासी गांव नवानियां तहसील वल्ल्भनगर जिला उदयपुर (राज0)
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर

.... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी मावली दिनांक 01–03–2013 प्रकरण संख्या 321/2011 वाद

————

उपस्थित :–1– श्री औंकारलाल डांगी अभिभाषक अपीलान्ट्स

2– श्री जय प्रकाश आमेटा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1

3– श्री पंकज भटनागर राजाकीय अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट सं.12

—————/—————

निर्णय **दिनांक 30–01–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी अपीलान्ट द्वारा प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट्स के विरूद्ध धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कि 1955 का वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सनवाड़ में वादपत्र की कलम संख्या–1 वर्णित कूल आराजीयात किता–13 रकबा 19 बीघा 17 बिस्वा भूमि स्थित होकर पक्षकारान सह–खातेदार है। इन आराजीयात में प्रतिवादी नंबर–1 का 1/2 हिस्सा तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 3 से 11 का 1/2 हिस्सा है, व इसी हिस्से अनुसार काबिज चले आ रहे है। प्रतिवादी नंबर 1 भेरूलाल ने अपने 1/2 हिस्से की भूमि वादी नंबर–1 को बेचकर 22–1–1991 को बिकावनामा निष्पादित कर दिया व अब विभाजीत आराजीयात में प्रतिवादी नंबर 1 का कोई हक अधिकार शेष नहीं रहा। भेरूलाल द्वारा भूमि का विक्रय कर दिये जाने के बाद कोई अधिकार शेष नहीं होने पर दिनांक 9–9–2011 को

प्रतिवादी नंबर 2 अशोक के पक्ष में नुमाईशी विक्रयपत्र निष्पादित कर दिया है। जबकि भेरूलाल प्रतिवादी का ही कब्जा नहीं था। अतएव विक्रयपत्र से अशोक को कोई कब्जा व अधिकार प्राप्त नहीं हुए है। प्रतिवादी नंबर–2 अजनबी क्रेता है। निवेदन किया कि वादी नंबर–1 को 1/2 हिस्से का तथा वादीगण व प्रतिवादीगण 3 से 11 को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित कर प्रतिवादी नंबर–2 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा दिलवाई जाय।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या–1 की और से दिनांक 24–8–2012 को आदेश–7, नियम–11 का आवेदन पेश कर निवेदन किया कि वाद का वाद आधार विक्रय पत्र नहीं होकर विक्रय करार है, जिस आधार पर वाद खारिज किया जाय। वादी द्वारा खण्डन का जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी प्रतिकूल कब्जे से भी खातेदार हो गया है तथा वाद विधि विरूद्ध नहीं है। अतएव आवेदन खारिज किया जाय।

अधिनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त आवेदन पर उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 1–3–2013 से उक्त आवेदन पर ही वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर वादी अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 1–4–2013 को पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 की और से अधिवक्ता श्री जय प्रकाश आमेटा ने उपस्थिति दी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–12 सरकार औपचारिक पक्षकार की और से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटिपूर्ण होना बताते हुए खारिज करने की प्रार्थना की। वहीं अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। वादी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी खातेदार हो गये है। अधिनस्थ न्यायालय ने विक्रय पत्र को गलत रूप से करार मान लिया है। प्रकरण में तनकीयात बनाई जाकर निर्णय किया जाना

चाहिए था। अजनबी केता के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का प्रमुख वाद हेतुक भी अनिर्णित रहा है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अनिस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण में घोषणात्मक राहत के लिए विक्रय करार के अलावा भी अन्य आधार उपलब्ध थे तथा यदि विक्रय करार के आधार पर वाद पोषणीय नहीं था, तो भी अजनबी केता प्रतिवादी संख्या–2 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वादी अपीलान्ट का वाद हेतु अनिर्णित रहा है।

उपरोक्तानुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का अंतिम निर्णय व डिकी दिनांक 01–03–2013 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ **प्रतिप्रेषित** किया जाता है कि प्रकरण में जवाबदावा प्राप्त तनकीयात कायम कर उभयपक्षों से साक्ष्य सबूत प्राप्त कर सुनवाई का अवसर देकर विधिक निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 02–04–2018 को उपस्थित होवें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 30–01–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर